रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 299] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 1975/श्रावण 15, 1897

No. 299] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 1975/SRAVANA 15, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 6th August 1975

S.O. 423(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 3 and 4A of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Sixteenth Amendment Order, 1975.

2. In the Exports (Control) Order, 1968—

(1) Sub-clause (2) of clause 4 and Schedule III shall be deleted;

(2) in Schedule I, Part 'A',—

(i) the following item shall be added after item No. 1(xxiii):—

"1(xxiv)—Aluminium unwrought";

(ii) the following item shall be added after item No. 3(c):—

"3(d)—(i) Chrome ores and concentrates

(ii) Zinc concentrates

(iii) Vanadium ores and concentrates

(iv) Vanadium bearing Iron ores

(v) Tungsten (Wolfram) ores and concentrates";

(iii) item No. 51 shall be substituted by the following entry :—

"51. *Chemicals, the following* :—

1. Polyethylene (LD)	11. Pentacrythritol
2. Acetic Acid	12. Synthetic Rubber
3. Polythylene (HD)	13. Nepthalene
4. Acetic Anhydride	14. Ethylene Glycol
5. Acetone	15. Di Ethylene Glycol
6. Aniline	16. Polyethylene Glycol
7. Cyanuric Chloride	17. Mothyl Isobutyl Ketone
8. Ethylene Oxide	18. DMT
9. Isoprophyl Alcohol	19. Soda Ash
10. Nitrobenzene	20. Citric Acid".

(iv) the following items shall be added after item No. 54 :—

"55—Creosote Oil (light and heavy), coal tar mixtures containing coal tar

56—Gums and resins, the following :—

Oleo-resins ex-pinus longifolia.

57—Silk Worms";

(3) *in Schedule I, Part 'B'*,—

(i) the following items shall be deleted :—

"B.1(ii)	Silk Worms
B.7(a)	Lamb fur skins, raw and pickled
B.8	Human Hair Wigs and Wiglets and other articles made partly or wholly of human hair
B.14(v)	Chrome ores and concentrates
B.14(viii)	Tungsten (Wolfram) ores and concentrates
B.14(ix)	Zinc concentrates
B.14(x)	Vanadium ores and concentrates
B.14(xi)	Vanadium bearing iron ores
B.19	Creosote Oil (light and heavy), coal tar mixtures containing coal tar
B.36	Bananas
B.37	Mango slices in brine
B.41	Gums and resins, the following :— Oleo-resins ex-pinus longifolia.
B.109	Lead semis in the form of sheets, circles, wires, rods and foils
B.113	Zinc oxide
B.117	Paddy Husk [including dried and pulverised rice (paddy) husk both in raw and processed form] but free from rice bran
B.118	Zinc sulphate
B.119	Zinc Hydroxide
B.123	Foods using soyabeans as base":

(ii) item No. 9(i) shall be substituted by the following entry :—

"9(i)—Aluminium alloys, unwrought":

(iii) item No. 46(i) shall be substituted by the following entry :—

"46(i)—Raw Cotton":

(iv) item No. 54(i) shall be substituted by the following entry :—

"54(i)—Motor Vehicles namely lorries, motor omnibuses, vans and chasis fo the same";

(v) *item* No. 121 shall be substituted by the *following entry* :—

"121. *Chemicals, the following* :—

1. Benzene
2. Butyl Alcohol
3. Butyl Acetate
4. Moho Caloro Acetic Acid
5. Toluene
6. Ethanol Amine
7. Di-Acetone Alcohol
8. Nitro-Toluene
9. Trichlore Ethylene
10. Perchlore Ethylene
11. Tetra Chlore Ethene
12. Bisphenol 'A'
13. Polystyrene
14. 2-Ethyl Hexanol
15. Hexamine
16. Phenol
17. Phthalic Anhydride
18. Phthalate Plasticizers
19. Rubber Chemicals
20. PF Moulding Powder
21. PF Resins
22. UF Resins
23. UF Moulding Powder
24. P.V.C. Resin".

[No. E(C)O, 1968/AM(161)]

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1975

का० आ० 423 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम का निर्माण करती है, अर्थात:—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) सोलहवां संशोधन आदेश, 1975 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1968 में :—

(1) अनुच्छेद 4 और अनुसूची 3 के उप-अनुच्छेद (2) को हटाया जाएगा;

(2) अनुसूची 1, भाग 'ए' में :—

(1) निम्नलिखित मद को मद संख्या 1(23) में बाद जोड़ा जाएगा :—

"(24) एल्युमीनियम अनराट ";

(2) निम्नलिखित मद को मद संख्या 3 (सी) के बाद जोड़ा जाएगा :—

"3(डी)—(1) क्रोम ओर्स एवं कन्सेन्ट्रेटस

(2) जिंक कन्सेन्ट्रेट

(3) वेनाडियम ओर्स और कन्सेन्ट्रेट

(4) आयर ओर्स वाले वेनाडियम

(5) टंगस्टन (वाल्फ्रेम) ओर्स तथा कन्सन्ट्रेटस "

(3) मद संख्या 51 को निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"51. **निम्नलिखित रसायन** :—

1. पालिएथिलीन (एल डी)	11. पेंटाएरिथ्रीटोल
2. एसैटिक एसिड	12. सिन्थेटिक रबड़
3. पालिएथिलीन (एच डी)	13. नेप्थालीन
4. एसैन्टिक एन हाइड्राइड	14. एथिलीन ग्लाइकोल
5. एसेटोन	15. डि–एथिलीन ग्लाइकोल
6. एनिलीम	16. पलिएथिलीन ग्लाइकोल
7. साइसन्यूरिक क्लोराइड	17. मेथिल आइसोबुटिल किटोन
8. एथिलीन आक्साइड	18. डी० एम० टी०
9. आइसोप्रोपिल अलकोहल	19. सोडा राख
10. नाईट्रोबेंजीन	20. क्रिटिक एसिड

(4) निम्नलिखित मदों को मद संख्या 54 के बाद जोड़ा जाएगा :—

"55–क्रियोजोटन तेल (हल्का एवं भारी), कौलतार जिसमें कौलतार की मात्रा मिश्रित हो।

56. निम्नलिखित गम एवं रेजिन्स :—

ओलियो रेजिन्स एक्स पाइनस लांगिफोलिया

57. रेशम के कीड़े "

(3) अनुसूची 1, भाग बी, में :—

(1) निम्नलिखित मदों को हटाया जाएगा :—

बी० 1(2) रेशम के कीड़े

बी० 7(ए) मैमने के रोएं वाला चमड़ा, कच्चा एवं अम्लित

बी० 8 मानव केश के बिग एवं विगलेट तथा मानव कैश से आंशिक रुप में या पूर्ण रुप से बने हुए अन्य सामान

बी० 14(5) क्रोम ओर्स और कन्सेन्ट्रेट्स

बी० 14 (8) टंगस्टन (वोलफ्रेम) ओर्स तथा कन्सेन्ट्रेट्स

बी० 14 (9) जिंक कन्सेन्ट्रेट्स

बी० 14(10) वेनाडियम ओस एवं कन्सेन्ट्रेट्स

बी० 14 (11) आयरन ओर्स वाले वेनाडियम

बी० 19 क्रियोसोट तैल (हल्का एवं भारी), कोलतार जिसमें कोलतार की मात्रा मिश्रित है ।

बी० 36 केला

बी० 37 हल्के नमक में आम के टुकड़े

बी० 41 निम्नलिखित गम और रेजिन्स :—
ओलियों रेजिन्स एक्स पाइनस लांगिफोलिया

बी० 109 शीट, सर्किल, तार, छड़ एवं पर्ण के रूप में शीशा सेमी।

बी० 113 जिंक आक्साइड

बी० 117 धान के भूसे (सूखे एवं चूर्ण चावल (धान) के भूरे दोनों रूपों में कच्चे एवं संपोधित शामिल है) लेकिन चावल का कोई विशेष प्रकार न हो।

बी० 118 जिंक सल्फेट

बी० 119 जिंक हाइड्राक्साइड

बी० 123 खाद्य पदार्थ जिसमें मूल रूप से सोयाबीन का उपयोग किया गया है।

(2) मद संख्या 9 (1) को निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—
"9(1) एल्युमीनियम मिश्रधातु, अनराट;"

(3) मद संख्या 46(1) को निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—
"46(1) कच्चा कपास :"

(4) मद संख्या 54 (1) को निम्नलिखित प्रविष्ट द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—
"54(1) मोटर वाहन जैसे—लारी, मोटर, ओमनी बस, वेन्स और उन्हीं के लिए चेसिज;"

(5) मद संख्या 121 को निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"121. **निम्नलिखित रसायन** :

1. बेंजीन
2. ब्युटिल अल्कोहल
3. ब्युटिल एसिटेट
4. मोनो क्लोरो एसिटेट एसिड
5. टोल्यून
6. एथैनील एमाइन
7. डि—एसैटीन अल्कोहल
8. नाइट्रो—टोल्यून
9. ट्रिक्लोरो एथिलीन
10. परक्लोरएथिलीन
11. टेट्रा क्लोर एथिलीन
12. बिस्फीनोल "ए"
13. पालिस्ट्रीन
14. 2—एथिल हैक्सानोल
15. हैक्साथाइन
16. फिनोल
17. थैलिक एनहाइड्राइड
18. थैलिक प्लास्टिसाइजर
19. रबड़ रसायन
20. पीएफ मोल्डिंग पाउडर
21. पीएफ रेजिन्स
22. युएफ रेजिन्स
23. युएफ मोल्डिंग पाउडर
24. पी बी सी रेजिन्स"

[सं० ई (सी) ओ, 1968/एएम(161)]

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975